

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग
19, हार्डिंग रोड, पटना।

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०-08/2022, प्राचार्य

विज्ञापन सं०-08/2022, प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक-25.08.2022 से 24.09.2022 तक Online आवेदन प्राप्त किया गया। इस अवधि में प्राप्त Online आवेदनों की Scrutiny विज्ञापन के कंडिकाओं में वर्णित शर्तों के अनुसार की गई है। आयोग के नियमावली के अनुसार कोटिवार पदों के तीन गुणा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाना है। Scrutiny के पूर्व Online आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावे के अनुसार सभी अभ्यर्थियों का कोटिवार मेधासूची तैयार किया गया। तत्पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा दावे के अनुरूप Online आवेदन में upload किये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर मेधाक्रम के अनुसार Scrutiny किया गया। शुद्ध रूप से तीन गुणा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में आमंत्रित किये जाने के लिए कोटिवार तीन गुणा से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों की Scrutiny की गयी है। Scrutiny किये गये अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ आयोग के वेबसाइट— www.btsc.bih.nic.in अथवा इस लिंक पर (<http://103.112.252.139/PRINCIPAL>) आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला जा रहा है। प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् काउंसलिंग हेतु सूची का कट ऑफ अंक सहित प्रकाशित किया जायेगा।

अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अपना आपत्ति कारण सहित दिनांक-19.05.2023 से 26.05.2023 की संध्या 06:00 बजे अपराह्न तक आयोग के वेबसाइट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

मेधाक्रम में नीचे के वैसे अभ्यर्थी जिनके Online आवेदन का Scrutiny आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। केवल Online आवेदन में उनके द्वारा किये गये दावे के अनुसार ही विवरणी प्रदर्शित रहेगी।

उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई-मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:-

1. विज्ञापन की कंडिका-01 में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शैक्षणिक योग्यता नहीं होने एवं तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं होने के कारण अयोग्य किया गया है।
2. योग्यता संबंधी सभी प्रमाण-पत्र यथा-शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि 24.09.2022 तक का निर्गत को मान्य किया गया है।
3. उच्चतर योग्यता का प्रमाण-पत्र (M.Sc (Nursing) Degree/Provisional Degree) नहीं रहने के कारण उच्चतर योग्यता का अंक नहीं दिया गया है। उच्चतर योग्यता हेतु मात्र M.Sc (Nursing) का अंक पत्र मान्य नहीं किया गया है।

4. कार्यानुभव का लाभ बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूल/संस्थान में शैक्षणिक कार्य हेतु प्राचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' तथा संविदा पर कार्यरत प्राचार्य को ही दिया गया है।
5. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक:-25.08.2022 तक बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों/संस्थानों में संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राचार्य के पद पर कार्यरत अवधि का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण-पत्र जो संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत हैं, को ही मान्य किया गया है।
6. कार्यानुभव अवधि की गणना 25.08.2022 तक की गयी है।
7. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संबंधित प्रारूप (Format) में ही कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया गया है।
8. विज्ञापन में कार्यानुभव हेतु निर्धारित प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर अंकों का लाभ नहीं दिया गया है।
9. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण-पत्र यथा- जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
10. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
11. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
12. स्वतंत्रता सेनानी के नाती-नतिनी/पोता-पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
13. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
14. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन/उच्चतर योग्यता का लाभ/कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

- नोट:-1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के Online आवेदनों की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत काउंसलिंग हेतु योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा सकेगा।
2. संलग्न सूची मात्र विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप अभ्यर्थियों के Online आवेदन तथा इसके साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों की Scrutiny के पश्चात् अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।
3. प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् काउंसलिंग सूची कट ऑफ अंक सहित प्रकाशित किया जायेगा।

8th
18.5.2023

उप सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।